


361

237

III/निग०/रीवा/2017/ख-शा०/2940

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.



Rs. 30/-

गया प्रसाद पिता स्व. मिथिला प्रसाद सभी निवासी पुर्वा, तह. सिरमौर,  
जिला- रीवा म.प्र. ————— निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- बृजमोहन प्रसाद पिता सूर्यबली प्रसाद
- 2- लालमणि प्रसाद पिता सूर्यवली प्रसाद
- 3- सौखीलाल प्रसाद पिता सूर्यवली प्रसाद

सभी निवासी ग्राम पुर्वा, तह. सिरमौर, जिला- रीवा म.प्र.

आवेदन गदा प्रसाद द्वारा किया गया है, जहाँ उन्होंने अपने पिता श्री गौरनिगरानीकर्ता गण  
द्वारा दिनांक 29.8.17 को प्राप्त किया है। दिनांक - 31-5-18

यह निगरानी रा. प्र. क. 63 /अ-12/2016  
-17 में पारित आदेश दिनांक 29.6.17 के  
विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

राज. (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू- रा. सं.  
1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:-

- 1- यह कि गैरनिगरानीकर्ता गण द्वारा आ. नं. 481/1 रकबा 0.310 हे.  
स्थित पुर्वा - 317 तह. सिरमौर, जिला- रीवा म.प्र. के सीमांकन आवेदन

नि- 31/2/18  
11

237

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/17/2010/17 जिला रीवा

जयप्रसाद विरुद्ध बृजमोहन प्रसाद

1	2	3
	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>जयप्रसाद मिश्रा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>एन</u> तहसील <u>मि.प.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>63/12/2016-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>29.06.2017</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। M0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.3.19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सदस्य

*[Handwritten signature]*  
11  
10/18